



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2014/कार्तिक 30, 1936

No. 615]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2014/KARTIKA 30, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 830(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 8 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 27 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे ;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2014 है ।
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 4 में, “केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार” शब्दों से आरंभ होकर “की समतुल्य पंक्ति का हो, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित हो” शब्दों पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “स्वतः प्रमाणित हों” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11028/15/2014-एमवीएल]

नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव,

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 उप-खंड(i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 745(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2014

G. S. R. 830(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (b) of section 27 read with sub-section (2) of section 8 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110 001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

Draft rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 4, for the portion beginning with the words “attested by a Gazetted Officer of the Central Government” and ending with the words “Municipal Corporation Councillor or Panchayat President”, the words “self attested” shall be substituted.

[F. No. RT-11028/15/2014-MVL]

NIRAJ VERMA, Jt. Secy.

Note: -The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 745(E), dated the 27th October, 2014.